# उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा
(स्थापना शाखा)

## आम सूचना

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना संख्या 4871, दिनांक 20–06–2019 के द्वारा **'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली–2015'** के नियम 3 (क) (i) में 10 वर्षों की लगातार सेवा की गणना करने हेतु निर्धारित कट–ऑफ–डेट 10.04.2006 के स्थान पर दिनांक 20. 06.2019 प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त तिथि के पूर्व न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के द्वारा पारित आदेश से आच्छादित मामलों को छोड़कर सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं कम–से–कम 10 वर्षों की लगातार सेवा करने वाले अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर कार्रवाई की जानी है।

अतः पूर्व में प्रकाशित आम सूचना ज्ञापांक 488/स्था0, दिनांक 08.12.2018 को निरस्त करते हुए एतद् द्वारा सभी कार्यालय प्रधान, कोडरमा जिला को सूचित किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–4871, दिनांक 20.06.2019 के आलोक में अनियमित रूप से नियुक्त एवं सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत वैसे कर्मियों जिनकी लगातार सेवा दिनांक 20.06.2019 तक 10 वर्षों की पूरी हो चुकी है, से आवेदन प्राप्त करते हुए दिनांक 15/10/2019 तक जिला स्थापना शाखा, कोडरमा में जमा कर सकते हैं।

ह0/–
उपायुक्त,
कोडरमा।

ज्ञापांक : 414/स्था0 कोडरमा, दिनांक : 25/09/2019

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपर्युक्त आम सूचना का प्रकाशन प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपर्युक्त आम सूचना को कोडरमा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– सभी कार्यालय प्रधान, कोडरमा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त एवं सृजित पदो के विरूद्ध 10 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत कर्मियों का आवेदन प्राप्त कर दिनांक 15-10–2019 तक जिला स्थापना शाखा, कोडरमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

25/9/19
उपायुक्त,
कोडरमा।